समान अवसर कमिशन

हाँगकाँग में समान अवसर प्रदान करने वाले कानून, कुछ तरह के भेदभावों का, निवेद करते हैं। खासकर किसी भी व्यक्ति के लिंग, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्थाा, अपाहिजता, परिवारिक स्तर एंव जाति के आधार पर भेदभाव करना कानूनी तौर पर अपराध हैं।

ई ओ सी (EOC) क्या हैं।

समान अवसर कमिशन (EOC) यह संस्था लिंगभेद निषेध कानून, (SDO) अपाहिज लोगों के लिए भेदभाव निषेध कानून (DDO), परिवारिक स्थिति के आधार पर भेदभाव के निषेध का कानून (FSDO) एवम् जाति भेदभाव निषेध कानून (RDO) इन सभी को कार्यान्वित करने के लिए एक कानूनी तौर पर बनाई गई संस्था हैं, जिसकी स्थापना सन् 1996 में हुई।

समान अवसर कानून

EOC एंव DDO पूर्ण रूप से 20 दिसंबर 1996 को कार्यान्वित हुए।

निम्नलिखित कार्यक्षेत्रो के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति से उसके लिंग, वैविवाहिक स्थिति, गर्भावस्था आदि मुद्दो को लेकर भेदभाव करना के अंतर्गत गैरकानूनी हैं।

- नौकरी
- शिक्षा
- वस्तुएँ, सेवाएँ एंव सुविधाएँ प्राप्त करते समय
- घर बेचना या किसी भी वस्तु का व्यवस्थापना करना
- किसी भी परामर्श में चुनकर आना या उसमें मतदान करना
- क्लबों में सहयोग
- सरकारी कार्य

किसी भी व्यक्ति का यदि नौकरी की जगह पर, शिक्षा की जगह पर, माल प्राप्त करते समय, सेवाओं को प्राप्त करते समय अथवा मालभत्ता को बेचते समय या उसके व्यवस्थापन के दौरान लैंगिक शोषण होता हो यह संगठन SDO कानून के अंतर्गत उस व्यक्ति का बचाव करता है।

इसी तरह DDO के अंतर्गत किसी विकलांग व्यक्ति की समाज में निंदा या तिरस्कार करना गैरकानूनी है, विकलांगता के आधार पर निम्न गतिविधियों में भेदभाव करना या तंग करना भी गैरकानूनी हैः

- नौकरी

- शिक्षा
- वस्तुएँ, सेवाएँ एंव सुविधाएँ प्राप्त करते समय
- किसी भी घर या बिल्डिंग मे प्रवेश करते समय
- घर बेचने या व्यवस्थापन में
- क्लबों एवम् खेलकूद के अवसरों में सहभाग
- सरकारी कार्य

21 दिसंबर 1997 से किसी भी व्यक्ति का उसकी पारिवारिक स्थिति के लिए भेदभाव करना गैरकानूनी है। पारिवारिक स्थिति याने उस व्यक्ति से खून का रिश्ता से जुडनेवाला, गोद लेने के कारण या सजायिता से जुडनेवाला व्यक्ति। इन दोनो संगठनो के अंतर्गत SDO और FSDO के अंतर्गत सभी कार्यक्षेत्रों का समावेश है और इनमें किसी भी क्षेत्रों मे यदि आप पर अन्याय हो रहा हो तो आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

जाति भेदभाव निषेध कानून (RDO) लोगों को उनकी जाति के आधार पर भेदभाव, उत्पीड़न और अपमान से सुरक्षा देता है। किसी व्यक्ति के संबंध में जाति का अर्थ व्यक्ति की जाति, रंग, वंश, राष्ट्रीय या सांस्कृतिक मूल है। आरडीओ के अंतर्गत, किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के आधार पर भेदभाव, उत्पीड़न या अपमान करना गैरकानूनी है। आरडीओ निम्नलिखित क्षेत्रों में सुरक्षा की पेशकश करता है:

- नौकरी
- शिक्षा
- वस्तुएं, सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त करते समय
- घर बेचना या किसी परिसर की व्यवस्था करना
- सार्वजनिक निकायों आदि में मतदान करना और चुनाव में खड़े होना
- क्लबों में सहभागी होना

ई ओ सी (EOC) आपके लिए क्या कर सकता है?

आपको यदि गैरकानूनी तौर पर, ऊपर निर्दिष्ट किसी भी कार्यक्षेत्र के विपरीत आपके लिंग, वैवाहिक दर्जा, गर्भवस्था,विकलांगता या पारिवारिक स्थिति के कारण भेद किया जा रहा हो तो आप EOC में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है। EOC आपकी शिकायत की छानबीन करके समझौता या समाधान निकालने की कोशिश करेगा। यदि आपको समाधान/समझौता नहीं हो सका तो आप किसी दुसरी कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप इन चारो कानूनों के आधार पर जिला न्यायालय के सामने कानूनी कार्यवाही भी कर सकते हैं।

इस कमिशन एंव इन चारो कानूनों की अधिक जानकारी के लिए आप की वेब साईट पर http://www.eoc.org.hk, इंटरनेट द्वारा जा सकते हैं अथवा EOC के कार्यालय में जा कर मिल सकते हैं:

Equal Opportunities Commission

16/F., 41 Heung Yip Road,Wong Chuk Hang,
Hong Kong
Telephone: 2511-8211

आफिस कामकाज का समय:

सोमवार से शुक्रवार : 8:45 a.m – 5:45 p.m

(Hindi Version)

7/2009